न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री पर्वत सिंह चुण्डावत **R.A.S.**

GCMS प्रकरण संख्या 2021/490

प्रकरण संख्या 44/21

अनवान

1. श्री केशा पिता धूला निवासी नागलिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

.....प्रार्थी

बनाम्

1. श्री रूपा पिता वरदा मीणा निवासी नागलिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
2. श्री मोहनलाल पिता वरदा मीणा निवासी नयातालाब तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
3. श्री नारायण पिता वरदा मीणा निवासी नयातालाब तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
4. श्री भंवरलाल पिता भेरा निवासी नयातालाब तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
5. श्री लोगर पिता जेता मीणा निवासी नागलिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
6. श्री किशन पिता जेता मीणा निवासी नागलिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
7. श्री पन्ना पिता जेता मीणा निवासी नागलिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
8. श्री लाला पिता डुंगा मीणा निवासी नागलिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
9. श्री देवा पिता डुंगा मीणा निवासी नागलिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
10. श्री दोला पिता बाबरू मीणा निवासी नागलिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
11. श्री नानालाल पिता बाबरू मीणा निवासी नागलिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
12. श्री देवा पिता नारायण मीणा निवासी नागलिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
13. श्री केसु पिता नारायण मीणा निवासी नागलिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
14. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक :— 16.10.2023

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा नागलिया पटवार मण्डल धावडीया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर में जमाबंदी संवत् 2068–71 में परिशिष्ट (क) में खाता संख्या नया 40 की आराजी नम्बर 129, 134, 135/2, 323, 325, 326, 327/1, 334, 335 कुल किता 9 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है। यह कि उक्त आराजी नंबर मुझ प्रार्थी व खातेदार मोतड़ी चुनकी के नाम पर है जिसके पडौस 323 से 335 तक के प्रतिवादीगण है।

2. यह कि उक्त आराजीयात में प्रार्थी एवं विपक्षीगणो के मध्य आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होने की संभावना रहती है तो कभी पालीयो पर घास काटने की समस्या रहती है तो कभी मवेशियों से नुकसान कराने की समस्या रहती है जिससे आपसी विवाद उत्पन्न होने का भय रहता है। जिस पर प्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में पक्की पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parmat Singh Chundawat
Date: 2023.12.14 17:08:19 IST
Reason: SelfAttested

3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं 13 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहें। विपक्षी संख्या 1 से 13 के विरूद्व एकतरफा के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 14 द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहा।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी को सुना। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी की खातद हैं। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पड़ोसी है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्र विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का सीमांकन नहीं होने से आये दिन विवाद की समस्या रहती है। अतः सीमा को लेकर विव से विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का किया जाता है मौजा नागलिया पटवार मण्डल धावडीया तहसील भीण्डर जिला उद जमाबंदी संवत् 2068–71 की खाता संख्या नया 40 की आराजी नम्बर 129, 134, 323, 325, 326, 327/1, 334, 335 कुल किता 9 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा भूमि में भू के बाद बने नये नंबारान के आधार पर चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर कराया जावें। उक्त पत्थरगढ़ी कब्जा प्राप्त करने के लिए नहीं है, कब्जे प्राप्त करने अलग से कार्यवाही करें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को एक दिन का वेतन प्रा अदा किया जावें। तहसीलदार भीण्डर को आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षका उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार भी लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2023.12.14 17:08:19 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।